बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
–::संकल्प::–

श्री संजय कुमार राय, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–1 के विरूद्ध निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो), बिहार, पटना के द्वारा प्रत्यानुपातिक धनार्जन के मामले में निगरानी थाना काण्ड सं0–43/2022 दिनांक 26.08.2022 दर्ज किये जाने के आलोक में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(1)(क) एवं 9(1)(ग) के तहत विभागीय अधिसूचना सं0–1711–सह–पठित ज्ञापांक 1712 दिनांक 10.10.2022 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय निर्धारित किया गया।

2. श्री राय के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1604 अनु0 दिनांक 17.07.2023 द्वारा सचिव, कृषि विभाग–सह–जॉच आयुक्त, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित है। विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में श्री राय दिनांक 31.01.2025 को सेवानिवृत हो चुके हैं।

3. सरकारी सेवक के निलंबन में रहते हुए सेवानिवृत होने के संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापांक–3/एफ–01–50/70–12753–एफ. दिनांक 26.11.1970 में स्पष्ट किया गया है कि "---Government Servants under suspension should retire on reaching the age of superannuation irrespective of the question whether enquiries into charge or departmental or judicial proceeding initiated against them have been concluded or not." इस प्रकार निलंबित सरकारी सेवक का निलंबन वापस लेकर उसे वार्धक्य सेवानिवृत्ति की तिथि के प्रभाव से सेवानिवृत्त किया जाना अपेक्षित होता है।

4. अतएव उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री संजय कुमार राय, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–1 को वित्त विभाग के ज्ञापांक–3/एफ–01–50/70–12753–एफ. दिनांक 26.11.1970 के आलोक में उनके सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 31.01.2025 के अपराह्न से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

5. श्री राय के निलंबन अवधि का विनियमन इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर किया जायेगा।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

11/2/25

(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

https://rwd.bihar.gov.in

ज्ञापांक :–2/अ०प्र०–7–06/2022 1815 /पटना, दिनांकः– 11.2.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/2/25

अवर सचिव

ज्ञापांकः–2/अ०प्र०–7–06/2022 1815 /पटना/दिनांकः– 11.2.25

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, किशनगंज/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता–4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–1/प्रशाखा पदाधिकारी–6/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग/श्री संजय कुमार राय, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–1, सम्प्रति सेवानिवृत, पत्राचार का पता--बसंत बिहार कॉलोनी, आर0पी0एस0मोड़, रघुनाथ पथ, बेली रोड, दानापुर, पटना, पिनकोड–801503 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/2/25

अवर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ०प्र०–7–06/2022 1819 /पटना/दिनांकः– 11.2.25

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

11/2/25

अवर सचिव